सेवाओं के व्यापार का उदारीकरण और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जेन्डर से संबंधित चिंताए

पिछले एक दशक से भी अधिक समय से भारत ने वैश्विक सेवाओं के व्यापार में नाम कमाया है। वर्ष 2009–10 के दौरान भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में सेवा सेक्टर का योगदान 55.2 प्रतिशत रहा है (निर्माण को जोड़ने पर 63.4 प्रतिशत) और सेक्टरवार जीडीपी वार्षिक 10.1 प्रतिशत की दर से बढ़ती रही है (निर्माण को जोड़ने पर 9.7 प्रतिशत, आर्थिक सर्वेक्षण, 2009–10)। इस वृद्धि के बावजूद कुल रोजगार में सेवा सेक्टर का योगदान लगभग 25.4 प्रतिशत ही है। यह विसंगति भारत के सेवा सेक्टर के वृद्धि पैटर्न में बरकरार है।

भारत के सेवा निर्यात की अब दुनिया भर में ख्याति है, हालांकि उसकी निर्यात वृद्धि दर (आयात) में गिरावट आ रही है– 2000–01 में यह वृद्धि दर 27.8 प्रतिशत थी, जो तेजी से गिरते हुए 2007–08 में 17.3 प्रतिशत तक आ पहुंची है। 2009–10 में तो यह और गिरकर –9.6 प्रतिशत तक आ पहुंची, जिसकी बहुत बड़ी वजह वैश्विक आर्थिक संकट था। इसके बावजूद 2000–10 में देश में आए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इस सेक्टर को अधिकतर निवेश हिस्सा (51 प्रतिशत) मिला।

यह व्यापार कुछेक उप–क्षेत्रों (सब–सेक्टर्स) तक सीमित है, जिसमें भारत के सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर सेगमेंट का योगदान 51 प्रतिशत है (आर्थिक सर्वेक्षण 2010–11), जबकि अन्य सेगमेंट्स और सेक्टरों में निर्यात बढ़ा है। निर्यात के अन्य महत्वपूर्ण सेगमेंट्स यात्रा, परिवहन और व्यापार सेवाएं (क्रमशः 12.4, 11.7 और 11.9 प्रतिशत) हैं। निर्यात में वित्तीय सेवाओं का योगदान सिर्फ 3.9 प्रतिशत है, हालांकि 2009–10 में इस सेगमेंट में 11.3 प्रतिशत की उच्च जीडीपी वृद्धि दर रही है। आयात में व्यापारिक सेवाओं, परिवहन और यात्रा का बहुत बड़ा हिस्सा है। परिवहन सेवाएं, बीमा और निर्माण ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है।

इस असंतुलन की कई वजहें हैं : निर्यात अभी भी कम्प्यूटर एवं अन्य व्यावसायिक सेवाओं पर केंद्रित है, जो सभी आईटी सेवाओं से जुड़ी हैं, भारत की बहुत विशाल आबादी है, जो अभी भी कृषि पर निर्भर है, अन्य सेक्टरों की तुलना में रोजगार में सेवा सेक्टर का लचीलापन बहुत कम है, जिन सेवाओं में वृद्धि हुई हैं, वे निपुणता–केंद्रित हैं और भारतीय आबादी के निपुणता स्तर बहुत कम हैं, सेवाओं के सेक्टर के उदारीकरण से उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है, जो श्रम–बचतकारी है, उदाहरण के लिए निर्माण में। इसके अलावा, व्यापार ने ग्रामीण सेवाओं के बजाए शहर–आधारित सेवाओं को फायदा पहुंचाया है (सेनगुप्ता एवं शर्मा 2009)।

सेवा सेक्टर न सिर्फ नौकरियां, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, ऊर्जा और ऋण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है, जो मनुष्यों के मूल हितों के अलावा जनता के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जरूरी हैं। इस सेक्टर की वृद्धि की प्रकृति एवं पैटर्न, निर्यात, आयात, निवेश आदि ने जनता के भिन्न–भिन्न समूहों पर भिन्न–भिन्न तरह के प्रभाव डाले हैं। खासकर, इसने महिलाओं पर स्पष्ट रूप से भेदभावकारी असर डाला है, जबकि महिलाओं की जरूरतें महत्वपूर्ण हैं और भारत जैसे देश में इनकी इन सेवाओं तक सीमित पहुंच होती है। देश में महिलाओं के प्रति ऐतिहासिक रूप से भेदभाव होता आया है। इसलिए, इस सेक्टर में विकास नीति के दृष्टिकोण से महिलाओं से जुड़े जटिल पहलू बेहद महत्वपूर्ण हैं।

इस प्रकार, इस सेक्टर का उदारीकरण महिलाओं पर दोहरे प्राथमिक प्रभाव डाल सकता है : (1.) रोजगार एवं आय के जरिए और (2.) बुनियादी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के जरिए। चूंकि महिलाओं की भौगोलिक एवं मानव संसाधनों तक असमान पहुंच होती है, जिससे इस सेक्टर के उदारीकरण से उन्हें रोजगार एवं पहुंच दोनों दृष्टि से असमान लाभ एवं नुकसान पहुंचते हैं। लेकिन, ये प्रभाव क्रमशः एक–दूसरे पर दबाव पैदा करते हैं और द्वितीयक प्रभाव का निर्माण करते हैं (देखें : रेखाचित्र–1)। रोजगार पैसा चुकाने एव फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करके अन्य सेवाओं पर प्रभाव डालते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ऋण जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच पुनः उद्यमशीलता, रोजगार एवं आय सृजन के अवसरों पर असर डालती है।

इस प्रकार, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सेवा सेक्टर ने महिलाओं पर भेदभावकारी प्रभाव डाला है। चूंकि इस सेक्टर में वृद्धि का निपुणता की तरफ झुकाव रहा है और पूंजी–आधारित क्षेत्रों में, जिनके पास निपुणता या पूंजी नहीं है, वे स्वाभाविक रूप

बॉक्स–1: सेवा का व्यापार महिलाओं के संबंध में पारस्परिक रूप से (इंटरएक्टिव) प्रभाव डालता है

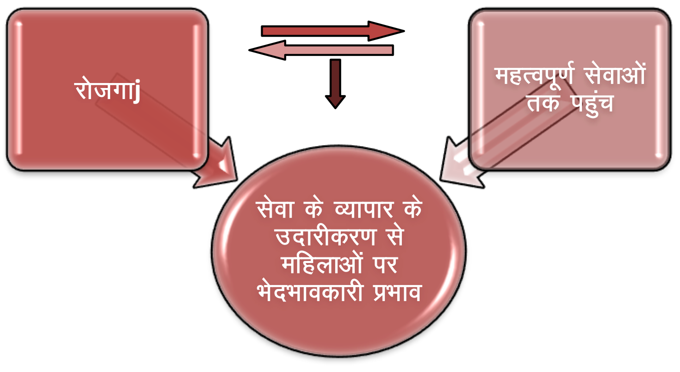

से अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। जहां एक ओर भारत के शहरी भागों की शिक्षित महिलाओं ने निपुणता–आधारित सेवाओं, जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, बैंकिंग, यात्रा एवं पर्यटन में रोजगार पाने में अच्छी कामयाबी पाई है, वहीं दूसरी ओर आम महिलाएं अन्य सेगमेंट्स में अनौपचारिक एवं कम वेतन वाले कार्यों तक सिमट कर रह गई हैं।

स्थान, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संबंधों के आधार पर भी पहुंच कायम होती रही है। जहां एक ओर बड़े शहरों की आर्थिक संसाधनों से युक्त महिलाओं ने विदेशी बैंकों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों का लाभ पाया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए ये अधिक महंगे हैं एवं उन तक आसान पहुंच नहीं होती है, खासकर महिलाओं के लिए, जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया जाता रहा है।

डब्ल्यूटीओ में सेवाओं के व्यापार का उदारीकरण सीमित रूप से हुआ है, पर भारत एकपक्षीय ढंग से अपने सेवा सेक्टर को खोल रहा है। इसके अलावा, भारत सेवाओं के व्यापार को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल कर रहा है और अपने व्यापारिक साझेदारों को अतिरिक्त पहुंच प्रदान कर रहा है। ये व्यापार प्रतिमान भारत के सेवा सेक्टर में महिलाओं की उद्यमियों, कर्मचारियों के अलावा सेवाओं के उपभोक्ताओं के रूप में भूमिका तय करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं।

सेवा सेक्टर में महिलाओं को रोजगार एवं उद्यमशीलता

पूरे सेवा सेक्टर में महिलाओं के रोजगार की दृष्टि से हितों की चार श्रेणियों की पहचान की जा सकती है : (अ.) कूड़ा निपटान जैसी कुछ सेवाएं हैं, जिनमें महिला कर्मचारियों की अत्यधिक भागीदारी (ग्रामीण भारत के सभी कर्मचारियों में से 59.7 प्रतिशत) है, पर इस सेक्टर का आकार बहुत छोटा है और रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। इसके बावजूद ये सेक्टर महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण बने हुए हैं। (ब.) वित्तीय सेवाओं और कम्प्यूटर से जुड़ी सेवाओं का आकार साधारण है, पर इनमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी (क्रमशः 18.26 और 17.84 प्रतिशत) है। चूंकि ये श्रम–केंद्रित सेक्टर नहीं हैं, इसलिए महिलाओं को रोजगार देने में इन सेवाओं का योगदान बहुत कम (शहरी सेवाओं में महिला रोजगार क्रमशः 3.02 और 1.31 प्रतिशत) है। (स.) रिटेल (खुदरा व्यापार) जैसे कुछ बड़े सेक्टर हैं, जिनका महिलाओं को रोजगार देने में साधारण से लेकर उच्च हिस्सा है। इस प्रकार, बड़े सेक्टरों में महिलाओं की रोजगार भागीदारी अधिक (ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में सेवाओं में क्रमशः 25.82 और 16.93 प्रतिशत महिला रोजगार) है। घरेलू नौकरानी (निजी परिवार में) के रूप में कार्य महिलाओं का एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिसमें उनकी सर्वाधिक भागीदारी (79.67 प्रतिशत) के अलावा शहरी इलाकों के कुल रोजगार में महिला सेवाओं का सर्वाधिक हिस्सा (22.8 प्रतिशत) है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य अन्य क्षेत्र हैं, जिनमें कुल रोजगार में महिलाओं की उच्च भागीदारी एवं कुल रोजगार में महत्वपूर्ण हिस्सा दोनों हैं।

भारत में भौतिक एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों पर महिलाओं का स्वामित्व हमेशा सीमित रहा है। यह महिला–स्वामित्व वाले उद्योगों के कम हिस्से से स्पष्ट है, जो मेकेनाइज्ड सड़क परिवहन में 0.61 प्रतिशत से लेकर शिक्षा में 32.02 प्रतिशत तक रहा है (देखें– सेनगुप्ता एवं शर्मा)। यह हिस्सा आम तौर पर 20 प्रतिशत से भी नीचे (शिक्षा सहित दो उप–सेक्टरों के अपवाद को छोड़कर) रहा है।

पुरुष–स्वामित्व वाले उद्यमों की तुलना में महिला–स्वामित्व वाले उद्यम, खासकर स्वयं के खाते वाले उद्यम (ओएई) अचल परिसम्पत्तियों का कम मूल्य दर्शाते हैं (एनसीईयूएस)। परिवार के स्वामित्व वाले उद्यमों में महिलाएं अक्सर बिना भुगतान वाले पारिवारिक कर्मचारियों के रूप में कार्य करती हैं। भारत में खासकर, महिलाओं के कार्य को अनौपचारिक रूप देना एक चिंताजनक पहलू है। देश में असंगठित गैर–कृषि क्षेत्रों में 29.5 मिलियन महिला कर्मचारी (एनएसएस डाटा, 2004–05) हैं, जिनमें लगभग आधी महिला कर्मचारी सेवाओं में कार्यरत हैं। महिला रोजगार में व्यापार एवं मरम्मत का एक प्रमुख हिस्सा (15.8) है। निर्माण का हिस्सा 5.8 प्रतिशत है। संगठित सेक्टर के भीतर भी असंगठित महिला कर्मचारी हैं। इस तरह के अनौपचारिक रोजगार में निर्माण सेक्टर का 16.7 प्रतिशत हिस्सा है। ठेके पर आधारित कार्य, नौकरी की सुरक्षा का अभाव, अरक्षित वेतन, अपर्याप्त

रेखाचित्र 1: महिला सेवाओं के रोजगार में विभिन्न सेवाओं का हिस्सा 2004–05

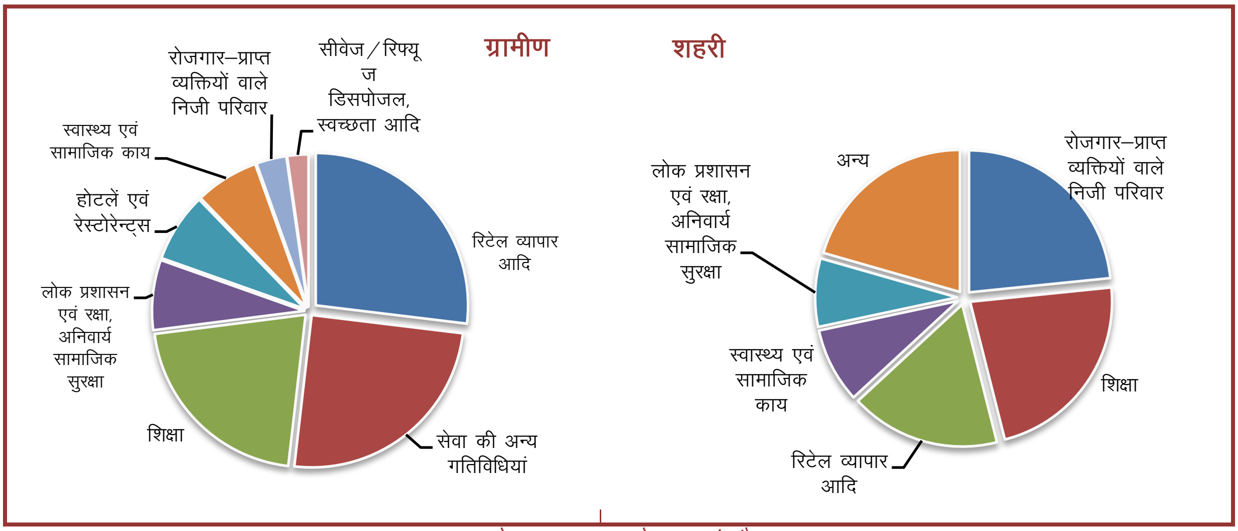

स्रोतः एनएसएसओ, 61 वां दौर

छुट्टियां, मातृत्व लाभ का अभाव और शून्य या न्यूनतम स्वास्थ्य कवरेज का सिलसिला प्रचलित है (एनसीईयूएस)। इस प्रकार के अनौपचारिक कर्मचारियों को अभी तक कोई भी असरदार सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई है। अधिकतर विकास विश्लेषकों के मुताबिक भारत का सामाजिक सुरक्षा विधेयक असरदार सुरक्षा देने के लिहाज से बेहद कमजोर है।

तालिका–1: सेवाओं के व्यापार के तहत चार मोड्स

नाम	कवरेज	व्याख्या	उन सेक्टरों/सेगमेंट्स के उदाहरण, जिन पर प्रभाव पड़ सकते हैं
मोड 1	सीमा पार सप्लाई	सप्लायर देश के भीतर से सेवा की सप्लाई की जा सकती है	आईटी सेक्टर
मोड 2	विदेश में खपत	उपभोक्ता सेवा के उपभोग के लिए सप्लायर देश के पास आता है	पर्यटन
मोड 3	वाणिज्यिक उपस्थिति	सप्लायर को उस अन्य देश में निवेश के जरिए शारीरिक उपस्थिति कायम करनी होगी, जहां वह सेवा प्रदान करेगा	सभी
मोड 4	स्वाभाविक व्यक्तियों की गतिविधि	सप्लायर देश के श्रमिकों का उपभोक्ता देश में जाकर काम करना और कमाना	कंपनी से जुड़े कर्मचारी, ठेके पर कर्मचारी

इसके अलावा, जेंडर के आधार पर मजदूरी में असमानता जारी है– नियमित कर्मचारियों में महिलाओं की मजदूरी आम तौर पर पुरुषों की मजदूरी की 50 प्रतिशत (निजी परिवारों में रोजगार) से लेकर 86 प्रतिशत (परिवहन एवं भंडारण) तक होती है (सेनगुप्ता एंड शर्मा, 2009)। अनियत (कैजुअल) कार्य में मजदूरी में फर्क बहुत ज्यादा होता है, जिसमें महिलाएं हमेशा कम कमाती हैं– पुरुषों की तुलना में उन्हें 45 और 78 प्रतिशत के बीच कम मजदूरी मिलती है (सेनगुप्ता एंड शर्मा, 2009)। पुरुषों की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में महिला श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से कम कमाती हैं (एनसीईयूएस)।

सेवाओं के व्यापार की चार पद्धतियां और उनके जेन्डर से संबंधित आयाम

सेवाओं का व्यापार आम तौर पर चार मोड्स (पद्धतियों) के तहत होता है (देखें : तालिका–1)। मोड 1 और मोड 2 सीमाओं के पार सप्लाई किया जा सकता है। शेष दो मोड्स का संबंध पूंजी और लोगों की गतिविधियों से हैं। वस्तुओं के विपरीत सेवाओं के व्यापार में अधिकांशतया सेवाप्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) की शारीरिक उपस्थिति की जरूरत पड़ती है और सेवा सेक्टर में निवेश मोड 3 (वाणिज्यिक उपस्थिति) में वैश्विक सेवा के व्यापार के उदारीकरण का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। अर्थव्यवस्था को खोलने के अधिकतर कदम मोड 3 और मोड 1 के संदर्भ में हुए हैं। मोड 4 निपुण पेशेवर लोगों की अस्थायी गतिविधि तक सीमित रहा है, जिसे डब्ल्यूटीओ में और मुक्त व्यापार समझौतों के तहत कम से कम वचनबद्धता के रूप में देखा गया है।

भारत की दिलचस्पी मोड 1 के तहत आईटी कंपनियों के लिए पहुंच पाने में हैं और मोड 4 के तहत अपने पेशेवर लोगों के लिए शारीरिक पहुंच चाहता है। हाल ही में, भारतीय कंपनियां मोड 3 के तहत अन्य देशों में वाणिज्यिक उपस्थिति कायम करने के भी रास्ते ढूंढ़ रही हैं।

यदि अधिक बाजार को खोला जाता है तो आईटी सेक्टर में महिलाएं संभावित लाभ प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन उनको प्रमुख लाभ मोड 4 को खोलने और अकुशल श्रेणियों तक उसका दायरा व्यापक करने में है। इससे उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिल सकती है और महिला देखभाल कर्मचारियों, नर्सों एवं शिक्षकों (इंस्ट्रक्टर्स) तक पहुंच कायम हो सकती है। मोड 3 का महिलाओं पर प्रभाव सर्वाधिक मिला–जुला होगा और इस विवरण में रोजगार पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

डब्ल्यूटीओ, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता (गैट्स) और भारत में सेवाओं के व्यापार का स्वायत्त उदारीकरण

गैट्स में 12 व्यापक क्षेत्र और 161 सब–सेक्टर्स, जैसे– वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग, बीमा एवं एकाउन्टेन्सी), सूचना एवं दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, परिवहन कवर किए गए हैं, जिनमें मोड 1 से 3 के तहत व्यापार होता है। इसके अलावा, मोड 4 को आय एवं आर्थिक वृद्धि के सृजन के एक साधन के रूप में माना गया है। गैट्स उन पेशकशों एवं अनुरोधों की एक अपरिवर्तनीय प्रणाली के जरिए कार्य करता है, जिनमें कोई सदस्य देश अपना सेक्टर खोलने की पेशकश करता है या किसी अन्य देश से किन्हीं विशेष सेक्टरों को खोलने का अनुरोध करता है। लेकिन, मोड 1 के अपवाद को छोड़कर अधिकतर मोड्स में गैट्स पर क्रियान्वयन कम रहता है। इसके बावजूद पिछले कुछ सालों के दौरान भारत महत्वपूर्ण स्वायत्त उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ा है।

मोड 1

भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों में आईटी सेक्टर और संबंधित बीपीओ गतिविधियों में प्रगति मोड 1 के उदारीकरण का

बॉक्स 2: भारत के आईटी और आईटीईएस सेक्टर में जेंडर मसले

- सेन्टैड (पाल 2009) द्वारा आईटी सेक्टर के बारे में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार :रू
  - जिनका सर्वेक्षण किया गया, उनमें से 70 प्रतिशत ने महसूस किया कि महिलाओं (खासकर ईयू, अमेरिकी ग्राहक) के लिए कार्य करने के घंटे प्रतिकूल हैं और इससे उनके निजी जीवन और पारिवारिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
  - 94 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने अपने बच्चों की शिक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव महसूस किया।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की एक रिपोर्ट (2009) में कहा गया है कि महिलाओं को कॉल सेंटरों की नौकरियों तक सीमित रखा जाता है और उनकी प्रबंधकीय, रखरखाव और सॉफ्टवेयर सेगमेंट्स तक सीमित पहुंच कायम हो पाती है।

एक प्रमुख सकारात्मक नतीजा है। मोड 1 में भारतीय आईटी और आईटीईएस की सेवाओं के कुल निर्यात का 60 प्रतिशत हिस्सा कवर किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत और चीन में रोजगार एवं आय दोनों लिहाज से महिलाओं को लाभ पहुंचा है (ट्रांन–नगुयेन एंड जेम्पेती, 2004) और इससे शहरी महिलाओं में उच्च शिक्षा को भारी बल मिला है।

निपुणता संबंधी असमानताओं, नौकरियों के पृथकीकरण और विषम घंटों में कार्य ने सेवाओं जैसे सेगमेंट में भी महिलाओं में असमानताएं पैदा की हैं। भारत में बीपीओ जैसे कम महत्व के सेगमेंट्स में महिलाओं की अधिक संख्या (महिलाओं का हिस्सा 40–50 प्रतिशत है) से यह स्पष्ट होता है (सेनगुप्ता एंड शर्मा 2009)। इसके अलावा, इस सेक्टर में समग्र रोजगार सृजन कम रहा है और शहरी भारत में यह महिलाओं के सेवा सेक्टर में रोजगार का मात्र 1.31 प्रतिशत है।

मोड 2

पर्यटन जैसे जेन्डर संवेदनशील सेक्टरों में विदेशों में खपत शामिल की जाती है, जिसमें भारत में महिला कर्मचारियों का उच्च प्रतिशत है। वैश्विक मांग में वृद्धि ने पर्यटन सुविधाओं, जैसे– होटल, यात्रा आदि में महिलाओं के रोजगार को बल प्रदान किया है। लेकिन, इसके साथ ही सेक्स टुरिज्म जैसे शोषणकारी रूप भी विकसित हुए हैं, पर अधिकतर देशों में घरेलू रूप से अनियमत है या गैट्स में भी उपेक्षित है।

भारत में मेडिकल पर्यटन एक अन्य सेक्टर है, जिसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और इससे नर्सिंग गतिविधियों की नौकरियों का भी सृजन हुआ है। पर, जेंडर से संबंधित दो महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। पहली, वाणिज्यिक दबाव के मद्देनजर भारत में इस कारोबार के सरोगेसी जैसे क्षेत्रों में विनियमन लचर है और उसका महिलाओं के स्वास्थ्य एवं हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। दूसरी, विकास विश्लेषकों ने तर्क दिया है कि मेडिकल पर्यटन स्थानीय आबादी से महत्वपूर्ण संसाधन छीन लेता है और घरेलू मेडिकल लागत में वृद्धि होती है। कम पहुंच रखने वाले गरीबों, महिलाओं और बच्चों गैर–अनुपातिक ढंग से नुकसान उठाते हैं।

मोड 3

निवेश के जरिए सेवा सेक्टर में वाणिज्यिक उपस्थिति कायम करना गैट्स के तहत ध्यान केंद्रित करने का एक प्रमुख क्षेत्र है। सेवाओं में व्यापार की तरह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रोजगार एवं आय के अलावा महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच पर प्रभाव डाल सकता है (उदाहरण के लिए देखें : रेखाचित्र–2)।

गैट्स के तहत विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों के समान राष्ट्रीय व्यवहार किया जाना जरूरी नहीं है। अधिकतर विकसित देशों और अनेक विकासशील की तुलना में भारतीय सेवा व्यापार ने अभी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सीमित इजाजत दी है। इसकी गैट्स में वचनबद्धताएं अभी भी बहुत सीमित बनी हुई हैं।

पर, भारत के स्वायत्त उदारीकरण प्रयासों के तहत निवेश नियम आसान किए जा रहे हैं– अक्सर उन सेक्टरों में, जो महिलाओं के लिए संवेदनशील हैं। कन्स्ट्रक्शन और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के सेगमेंट्स में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दी गई है (डीआईपीपी, सर्कुलर ऑन एफडीआई पॉलिसी, मार्च 2011)। सिंगल ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत तक की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा लगाने के साथ थोक व्यापार खुला हुआ (कोई सीमा नहीं, पर कार्य–प्रदर्शन की जरूरतें प्रचलित हैं) है, पर उस मल्टी ब्रांड रिटेल में अब तक प्रतिबंध लगाया गया है, जो भारत में एक विवादास्पद मसला है। पर, हाल ही में सचिवों की समिति (सीओएस) ने मल्टी–ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके बावजूद भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कार्य–प्रदर्शन जरूरतें लागू करता है, जैसे– बोर्ड की सदस्यता, प्राथमिकता–प्राप्त कर्ज लेने के मापदंड, निर्यात जरूरतों, न्यूनतम पूंजी निवेश, देश–प्रत्यावर्तन नियमों, न्यूनतम भौतिक आकार और ढांचागत आवश्यकताओं पर सीमाएं। यह कन्स्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में भी प्रचलित है, जहां अन्यथा 100 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दी गई है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह के संदर्भ में वित्तीय एवं गैर–वित्तीय सेवाओं ने कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 21 प्रतिशत हिस्सा पाया है, जिसके बाद कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और दूरसंचार का नंबर आता है और प्रत्येक ने 8 प्रतिशत हिस्सा पाया है। आवास एवं रियल इस्टेट और कन्स्ट्रक्शन में प्रत्येक ने 7 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया। अप्रैल 2000 और दिसंबर 2010 के बीच सेवा सेक्टर में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 65,657 मिलियन अमेरिकी डालर रहा।

रेखाचित्र 2 : सेवाओं में निवेश का उदारीकरण और जेन्डर पर प्रभाव – कुछ उदाहरण

कन्स्ट्रक्शनः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता खुलने पर इस सेक्टर में अधिकाधिक मशीनीकरण हुआ है और महिलाओं की नौकरियां कम हुई हैं।	**स्वास्थ्यः** नर्सों एवं हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नौकरियां बढ़ी हैं, पर उपभोक्ता लागत में लगातार वृद्धि, जन सेवाएं हटाने और शहरी इलाकों में उनके केंद्रित होने के कारण सेवाओं तक पहुंच पर खतरा पैदा हुआ है।	**बैंकिंगः** भारत में विदेशी बैंक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को कर्ज देना जरूरी नहीं है। विदेशी बैंक शहरों एवं महानगरों में केंद्रित हैं और बहुत कम महिलाओं को ऋण देते हैं।

भारत में आईटी और बैंकिंग जैसे निपुणता–आधारित सेक्टरों में रोजगार ने महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है और इनमें महिलाओं के रोजगार में वृद्धि हुई है। पर, रोजगार के मामले में दो महत्वपूर्ण चिंताएं बनी हुई हैं। पहली, आईटी और बैंकिंग जैसे निपुणता वाले सेक्टरों ने छोटे आकार में रोजगार सृजन किया है। उदाहरणार्थ, बैंकिंग शहरी महिलाओं के सेवा सेक्टर में सिर्फ 3 प्रतिशत रोजगार पैदा करता है, जबकि आईटी सिर्फ 1.31 प्रतिशत। दूसरी, श्रम–केंद्रित और कन्स्ट्रक्शन जैसे अनौपचारिक सेक्टरों में महिलाओं की नौकरियां को झटका लगा है (झाबवाला, 2003)। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आम तौर पर मशीनीकरण लाता है और मशीनीकरण अक्सर महिला

कर्मचारियों को हटाने का मार्ग प्रशस्त करता है। असंगठित सेक्टरों में अनौपचारिक महिला कर्मचारियों की बहुतायत है, पर उनमें श्रमिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती और मशीनों के चलते महिला कर्मचारियों को आसानी से हटा दिया जाता है।

भारत में लघु उद्यमी, खासकर महिला उद्यमी टेक्नोलॉजी के मानकों और विदेशी निवेश की कुशलता और आकार की पूर्ति में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्रम–केंद्रित प्रक्रियाओं वाले क्षेत्रों में निम्न ग्रेड की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों में यह अक्सर होता है। इनमें विदेशी निवेश एवं टेक्नोलॉजी रोजगार, स्वामित्व और आय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

पहुंच के संदर्भ में निजीकरण और उदारीकरण पहले से ही प्रभाव डाल रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, निजी सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों ने सार्वजनिक सेवाओं को प्रतिस्थापित करना जारी रखा है और न सिर्फ निजी सेगमेंट्स, बल्कि सार्वजनिक सेक्टर में भी उपभोक्ता फीस में वृद्धि कर दी है।

बैंकिंग के मामले में अपनी गतिविधियों की प्रकृति के मद्देनजर भारत में विदेशी बैंक सटोरिया जोखिम से अरक्षित हैं। अहम पहलू यह है कि विदेशी बैंकों के मियादी ऋणों ने ग्रामीण इलाकों में अत्यंत कम पहुंच कायम की है, जहां महत्वपूर्ण एवं कृषि जैसे जेन्डर संवेदनशील सेक्टर हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि भारत में विदेशी बैंक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कृषि एवं जेन्डर को कर्ज देना जरूरी नहीं है। इस समय 99.3 प्रतिशत विदेशी बैंक शहरी क्षेत्रों (महानगरों सहित) में स्थित हैं और 81.4 प्रतिशत विदेशी बैंक सिर्फ महानगरों में केंद्रित हैं। इस समय ग्रामीण इलाके देश में महिलाओं को ऋण–वितरण में तीन–चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी बैंकों ने इस जरूरत को अनछुआ रखा है।

विदेशी बैंकों ने महिला खाता धारकों को ऋण देने में उत्साह नहीं दर्शाया है। रिजर्व बैंक के स्टेटिस्टकल सप्लीमेंट, 2009 के अनुसार भारतीय बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों में महिलाओं के खातों का हिस्सा 23.8 प्रतिशत अधिक है, जबकि वास्तविक वितरण देसी बैंकों के उन सभी अन्य वर्गों से कम है, जो 8 प्रतिशत (भारतीय स्टेट बैंक) से लेकर 19.6 प्रतिशत (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) तक है।

स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण खासकर ग्रामीण इलाकों में गरीबों तक पहुंच को कमजोर बना चुका है। भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले मौजूदा कुल खर्च में सार्वजनिक खर्च का हिस्सा सिर्फ 25 प्रतिशत है (डबल्यूएचओ के आंकड़े)। भारत के इस सेक्टर ने कुल प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सिर्फ 0.715 प्रतिशत हिस्सा अर्थात 29,687 मिलियन रु. प्राप्त किया (अप्रैल 2000–जुलाई 2009), जबकि स्वायत्त रूट के जरिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत दी गई है। पर, भारतीय स्वास्थ्य सेक्टर विकास कर रहा है और निपुण हेल्थ प्रोफेशनल्स की उपलब्धता विदेशी निवेशकों को कारोबार का आकर्षक अवसर प्रदान करती है। इससे मेडिकल पर्यटन जैसी संबंद्ध सेवाओं का अवसर भी मिलता है।

पर, अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सार्वजनिक सेवाओं को बाहर धकेलने और सरकारी अस्पतालों जैसी वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में उपभोक्ता फीस में वृद्धि की प्रवृत्ति में तेजी ला सकता है (सेनगुप्ता एंड शर्मा)। भारत को कम लागत वाली सार्वजनिक सेवाओं की जरूरत है, न कि ऊंची लागत वाली निजी सेवाएं, जो सार्वजनिक सेवाओं का स्थान ले लें। इसके अलावा, बैंकिंग की तरह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पारम्परिक तौर पर अपने गंतव्य स्थान के सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में चुना गया है। 1991 और मई 2001 के बीच अस्पतालों या डायगनोस्टिक सेंटरों में विदेशी निवेश के 62 स्वीकृत मामलों में से अधिकतर शहरों एवं दिल्ली, कोलकाता एवं चेन्नई जैसे महानगरों में केंद्रित हैं (गोपाकुमार 2009), जहां मेडिकल सेवाएं पहले से सुविकसित हैं।

मोड 4

मोड 4 के तहत उदारीकरण ने गैट्स के तहत भी बहुत कम प्रगति की है। यह कर्मचारियों की अस्थायी गतिविधि तक सीमित है और अक्सर कंपनियों की वाणिज्यिक उपस्थिति के साथ जोड़ी जाती है। यह अधिकांशतया प्रोफेशनल या निपुण कर्मचारियों तक सीमित है और घरेलू महिला कर्मचारी हद से हद अर्द्ध–कुशल होती हैं। इसलिए, मोड 4 में पलायन की एक बहुत संकीर्ण परिभाषा शामिल की गई है। अधिकतर देशों, खासकर विकसित देशों में प्रवेश परीक्षा, भाषा परीक्षा, पूर्व नौकरी, स्थानों एवं सेक्टरों तक सीमित रखना और वेतन में असमानता जैसे रूपों में कड़ी प्रवेश बाधाएं प्रचलित हैं (सेनगुप्ता एंड गोपीनाथ)। विकसित एवं विकासशील देशों दोनों में महत्वपूर्ण बाधाएं है, यद्यपि अमेरिका और ईयू में अधिक कड़े प्रवेश नियम पाए जाते हैं।

मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सेवाओं का व्यापार और जेन्डर पर प्रभाव

पिछले एक दशक से भी अधिक समय से भारत की व्यापार नीति में भारी बदलाव आया है। भारत विकासशील एवं विकसित देशों के साथ लगभग 30 द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है या फिर उन पर वार्ता कर रहा है। भारत श्रीलंका, साफ्टा, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, आसियान, मलेशिया एवं जापान के साथ पहले ही मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है और ईयू, ईएफटीए, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, तुर्की आदि के साथ वार्ता कर रहा है।

बॉक्स 3: वे देश, जिनके साथ भारत ने सेवा अध्यायों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं या वार्ता कर रहा है

- ✓ सिंगापुर (हस्ताक्षर किए)
- ✓ दक्षिण कोरिया (हस्ताक्षर किए)
- ✓ जापान (हस्ताक्षर किए)
- ✓ मलेशिया (हस्ताक्षर किए)
- ✓ यूरोपियन यूनियन
- ✓ ईएफटीए
- ✓ आस्ट्रेलिया
- ✓ न्यूजीलैंड

भारत सिर्फ वस्तु व्यापार से उन अधिक महंगे समझौतों की ओर भी बढ़ रहा है, जिनमें सेवा व्यापार के गहन उदारीकरण के अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों, निवेश, सार्वजनिक खरीद (केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा खरीद) और प्रतिस्पर्धा नीति पर अध्याय शामिल किए जाते हैं। बॉक्स 3 में कुछ समझौतों की सूची दी गई है, जिनमें सेवाओं पर अध्याय शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, निवेश, सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति के बारे में प्रावधान सेवा सेक्टर की कार्यप्रणाली प्रभावित कर सकते हैं।

मोड 3 और मुक्त व्यापार समझौतों के तहत निवेश

भारत की अभी भी अपने साझेदारों से मोड 1 और मोड 4 की छूटों में दिलचस्पी है, पर अपने निवेशकों के लिए वह मोड 3 में दिलचस्पी ले रहा है। उसके साझेदार आम तौर पर मोड 3 के तहत सेवा सेक्टरों के बाजारों तक पहुंच कायम करना चाहते हैं। यह खासकर जापान, यूरोपियन यूनियन, ईएफटीए, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों के बारे में सच है, जिनके साथ भारत ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं या वार्ता कर रहा है। इस प्रकार, भारत बैंकिंग एवं फाइनेंस, बीमा, व्यापार और यहां तक कि ऊर्जा, डाक सेवाओं, रिटेल जैसे अपने उन सेवा सेक्टरों में बाजार तक अधिक पहुंच की पेशकश कर रहा होगा, जो सुरक्षा, रोजगार या आवश्यक सेवाओं के आधार पर संवेदनशील माने जाते हैं। पर, पर्यटन एवं ट्रैवल जैसे सेक्टरों में निवेश से रोजगार के अवसरों को भारी बल मिल सकता है, जिनमें महिलाएं अच्छा कार्य–प्रदर्शन करती हैं।

इसके अलावा, मुक्त व्यापार समझौते के अनेक साझेदार मांग कर रहे हैं कि कार्य–प्रदर्शन संबंधी जरूरतों में ढील दी जाए या हटाई जाएं। इस बारे में मुक्त व्यापार समझौतों में भारी जोर दिया जा रहा है और इससे विशाल विदेशी पूंजी का प्रवेश बढ़ सकता है, जो अनौपचारिक कर्मचारियों को निशाना बना सकती है।

भारत अपने मुक्त व्यापार समझौतों के तहत जापान, मलेशिया जैसे देशों को निवेशक सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है और ईयू और ईएफटीए के साथ भी वार्ता चल रही है, जिसमें यह किया जाएगा। इसका घरेलू कानूनों एवं नीतिगत मामलों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौतों का निहितार्थ अक्सर यह है कि टैक्स कानूनों सहित कानूनी रूपरेखा कायम रखना आवश्यक है ताकि नीति में किसी भी प्रकार के बदलावों से निवेशकों के मुनाफों में कमी न हो। निवेशकों के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में माने जाने पर निजी निवेशक सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में गुप्त पंचनिर्णय के लिए मुकदमा ठोक सकता है। नाफ्टा अध्याय 11 के तहत अमेरिका, कनाडा एवं मेक्सिको ने 2005 तक 42 केसों का सामना किया, जिनमें 5 बिलियन डालर का दावा किया गया। यह भावी नीति विनियमन में एक गंभीर निषेध के रूप में काम करता है। भारत जैसे देश में, जहां अनेक संवेदनशील क्षेत्रों में कानूनी रूपरेखा मौजूद नहीं है, नीतिगत मामलों में इस प्रकार की सीमाएं महिलाओं जैसे अरक्षित समूहों की रक्षा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। उदाहरणार्थ, मेडिकल पर्यटन एवं क्लीनिकल ट्रायल महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं क्योंकि इनमें महिलाओं का व्यापक उपयोग किया जाता है और 2008 के सरोगेसी विधेयक जैसे मौजूदा कानून अपर्याप्त हैं।

ध्यान देने लायक एक केसः रिटेल और मोड 3

रिटेल सेक्टर रोजगार प्रदाता के रूप में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर (कृषि के बाद) है और इसमें विशाल संख्या में अनौपचारिक कर्मचारी काम करते हैं। इनकी निपुणता का स्तर कम होता है और वे सड़कों पर वेंडर का कार्य करते हैं या पारिवारिक स्वामित्व वाली दुकानें चलाते हैं। इस सेक्टर में संगठित एवं असंगठित दोनों सेगमेंट्स हैं। संगठित रिटेल में भारतीय एवं विदेशी कॉरपोरेट घराने दोनों आते हैं और 2006–07 में रिटेल सेक्टर में उनका हिस्सा सिर्फ चार प्रतिशत था, पर तेजी से विकास की आशा की गई थी (आईसीआरआईईआर 2008)। शेष हिस्सा असंगठित सेगमेंट्स का है, जिसमें 12 मिलियन लघु स्तरीय कारोबारी शामिल हैं।

रेखाचित्र 3: रिटेल के कुल रोजगार में महिलाओं का हिस्सा और सेवाओं के कुल रोजगार में कुल महिला रोजगार का योगदान (%)

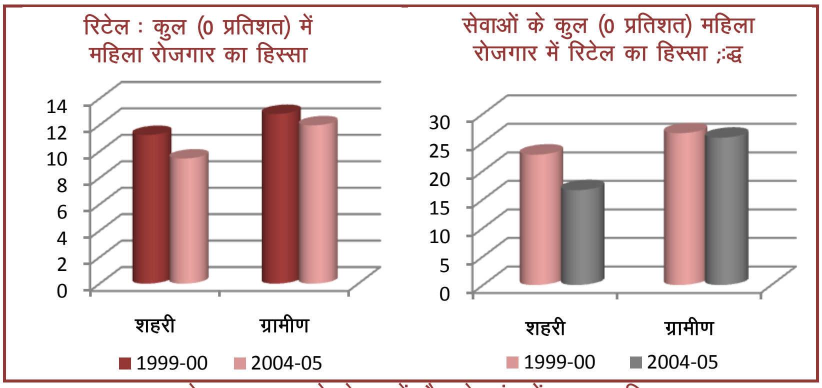

स्रोतः एनएसएसओ के 61 वें दौर के आंकड़ों पर आधारित

जैसाकि पहले चर्चा की गई, रिटेल में महिलाओं का अपेक्षाकृत एक बहुत बड़ा हिस्सा है और भारत में कुल महिला रोजगार में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। महिलाएं असंगठित सेगमेंट में भारी संख्या में काम करती हैं। दरअसल, सेवा सेक्टर में पूर्ण रूप से असंगठित महिला रोजगार में रिटेल का 30 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है। पर, बड़ी रिटेल कंपनियों के प्रवेश के बाद महिलाओं की भागीदारी दर और महिला रोजगार में उसका योगदान दोनों में गिरावट आ रही है (रेखाचित्र–3)। इस प्रवृत्ति के कारण संगठित कॉरपोरेट रिटेलर्स से प्रतिस्पर्धा, उत्पीड़न, अवैध भुगतान, कड़ी प्रतिस्पर्धा, सड़कों पर सामान बेचने पर प्रतिबंधों, बढ़ते शुल्कों, सुरक्षा के अभाव, असुरक्षित वातावरण, शौचालयों की कमी, पुलिस और म्यूनिसिपल अधिकारियों का उत्पीड़न हैं। मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए विदेशी रिटेलरों के प्रवेश और बड़े पैमाने पर फंड्स के समर्थन का दुष्परिणाम इस सेक्टर से निकट भविष्य में महिला रिटेलरों की बेदखली के रूप में सामने आ सकता है।

मुक्त व्यापार समझौते और सरकारी खरीद (जीपी)

अधिकतर विकसित देश यह भी चाहते हैं कि मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए भारत में सरकारी खरीद बाजार को खोला जाए। इसका भारत और अन्य विकासशील देशों ने डब्ल्यूटीओ में विरोध किया था। पर, ईयू, जापान, अमेरिका चाहते हैं कि उनकी कंपनियों को परिवहन (रेलवे सहित), ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं कन्स्ट्रक्शन सहित सभी क्षेत्रों में सेवा का समान अधिकार मिले।

भारत सरकार अपनी खरीद नीति का इस्तेमाल महिला उद्यमियों, ग्रामीण उद्यमियों और अति लघु, लघु एवं मझोले उद्यमों (दोनों में महिला कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं) तथा अन्य वंचित समूहों को तरजीही पहुंच देने में करती है। सार्वजनिक खरीद के उदारीकरण का निहितार्थ यह होगा कि उन्हें इनमें से अधिकतर लाभों की इजाजत नहीं दी जाएगी। नतीजतन, महिला समूह और महिला उद्यमी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि कन्स्ट्रक्शन या अति लघु, लघु एवं मझोले उद्यमों और ग्रामीण उद्यमों जैसे जेन्डर संवेदनशील सेक्टर में घरेलू सेवा प्रदाताओं को श्रम–बचतकारी विदेशी कंपनियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसका घरेलू रोजगार पर अतिरिक्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

भारत ने अभी तक मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सार्वजनिक खरीद में बाजार तक पहुंच प्रदान नहीं की है, पर ईयू जैसे देश/ब्लॉक्स सरकारी खरीद खोलने के लिए भारी दबाव डाल रहे हैं। यदि वह यह करता है तो उसे जापान जैसे कुछ मौजूदा साझेदारों को इसी तरह की पहुंच देनी पड़ेगी। इसका भारत के महिला उत्पादकों एवं कर्मचारियों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

मुक्त व्यापार समझौतों के तहत मोड 4

भारत अपने मुक्त व्यापार समझौतों के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मोड 4 में लाभ देखता है और अपने नागरिकों के सामने मुक्त व्यापार समझौतों को न्यायोचित ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। व्यापार समझौतों के तहत मोड 4 का आम दायरा अभी भी सीमित है। भारत अपने आईटी और अन्य प्रोफेशनल्स के लिए अधिक लाभों की आशा कर रहा है। जापान के साथ समझौते के तहत भारत ने उन संविदात्मक कर्मचारियों के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त किए हैं, जो विशेष कंपनियों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। 2011 में जापान एवं मलेशिया के साथ हस्ताक्षरित दोनों समझौतों में भारत दो सालों में नर्सों और केयर वर्कर्स के लिए पहुंच पाने की आशा कर रहा है। इससे कुछ महिला केयरगिवर्स को लाभ मिल सकते हैं, पर महत्वपूर्ण बाधाएं भी भी बनी हुई हैं। जापान में भारतीय कर्मचारियों के लिए भाषा एक प्रमुख बाधा है। इसके अलावा, मोड 4 के कर्मचारी इन देशों में नागरिकों की तरह समान सुरक्षा एवं अधिकार प्राप्त नहीं करते और इन देशों के घरेलू कानून तक पहुंच कायम नहीं कर सकते। अधिकतर विकसित देश प्रवासी कर्मचारियों को इजाजत देने के बारे में चुप्पी साध लेते हैं और इस सेगमेंट में वास्तविक लाभ पाना बहुत कठिन है।

निष्कर्ष

भारत में सेवा सेक्टर के उदारीकरण को देश के टिकाऊ विकास के नुस्खे के रूप में देखा जाता है। यह जीडीपी वृद्धि के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर उन लोगों के विकास आयामों के संदर्भ में प्रभाव के बारे में गंभीर अध्ययन की जरूरत है, जिन्हें निपुणताओं, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों और सेवाओं तक समान पहुंच प्राप्त नहीं है। यह संक्षिप्त विवरण उन चिंताओं पर रोशनी डालता है, जो महिलाओं के लिए रोजगार एवं महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच के संदर्भ में ऐसे उदारीकरण से पैदा होती हैं। महिलाएं किस प्रकार इन सेवाओं एवं रोजगार बाजार तक पहुंच कायम कर सकती हैं, ये भी आंशिक रूप से सामाजिक संबंधों से तय होती हैं। पर, ये संबंध स्वयं बढ़ते व्यापक व्यापार प्रतिमान से भी प्रभावित होते हैं।

भारत का स्वायत्त उदारीकरण, गैट्स के तहत उसकी वचनबद्धताएं (अब तक सीमित) और मुक्त व्यापार समझौतों में उसकी भावी वचनबद्धताएं नौकरियों एवं सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। मुक्त व्यापार समझौतों में सेवाओं, निवेश एवं सरकारी खरीद जैसे सेक्टरों पर विविध अध्याय उन पर संयुक्त और तेजी से प्रभाव डाल सकते हैं। यह अधिकाधिक स्पष्ट हो रहा है कि व्यापार जेंडर के प्रति तटस्थ नहीं है, जबकि पहले इसके उलट विश्वास किया जाता था। कुछ सेवाओं, जैसे– आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और एक संदेहास्पद स्थिति तक मोड 4 में उदारीकरण से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं। पर, रिटेल, कन्स्ट्रक्शन एवं उच्च उपभोक्ता फीस और महत्वपूर्ण सेवाओं में सार्वजनिक सेवाओं की प्रतिस्थापना और ग्रामीण इलाकों जैसे अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों, में वायदे के मुताबिक लाभ मिलने की संभावना नहीं है। रोजगार एवं पहुंच पर प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दिशाओं में हावी होगा, इसलिए दीर्घकालिक प्रभाव अधिक जटिल और अर्थभेदी होगा। अंततः मुक्त व्यापार समझौतों में निवेशक सुरक्षा के रूप में महिलाओं के हितों पर खतरा मंडरा सकता है, जिससे अपनी अरक्षित आबादी के हितों की रक्षा में सरकारी नीतिगत दायरा अत्यंत सीमित हो सकता है।

इस प्रकार के उदारीकरण से जेन्डर समानता और जेन्डर संबंधों पर प्रभावों के बारे में वैकल्पिक विश्लेषणों की इस समय बेहद जरूरत है। समाज के आम लोगों को इसके दूरगामी प्रभावों के बारे में और अधिक वाकिफ होना चाहिए तथा अपनी मांगे अपनी सरकार के सामने रखें ताकि भारत की व्यापार नीति के निर्माण में जेन्डर पर पड़ने वाला प्रभाव एक प्रमुख विचारणीय मुद्दा बने।

संदर्भ सामग्री

नेशनल कमीशन फोर एंटरप्राइजेज इन द अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर (2007): ''रिपोर्ट ऑन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड प्रोमोशन ऑफ लाइवलीहुड्स इन द अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर'', गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगस्त, नई दिल्ली

सेनगुप्ता, रोन्झा एंड आशुतोष शर्मा (2009): ''द ईयू–इंडिया एफटीए इन सर्विसेज एंड इम्पैक्ट ऑन विमेन इन इंडिया : कन्सर्न एरियाज'', सेंटर फोर ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड हेइनरीज बोइल फाउंडेशन, न्यू देल्ही, दिसंबर। http://www.boell-india.org/web/112-536.html पर उपलब्ध।

दुरानो, मारिया फे बी. (2005): ''वुमेन इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड माइग्रेशन : एग्जामिनिंग द ग्लोबलाइज्ड प्रोविजन ऑफ केयर सर्विसेज'', यूएनईएससीएपी।

झाबवाला, रेनाना (2003): ''ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन इन द इन्फोर्मल इकोनॉमी'' इन वीना झा (एडिटेड) : ''ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन एंड जेन्डर एविडेन्स फ्रोम साउथ एशिया'', यूनिफेम इन कॉलोबरेशन विद अंकटाड, न्यू देल्ही।

नायर, श्रीलेखा एंड मेरी परकोट (2007): ''ट्रांससेन्डिंग बाउंड्रीज : इंडियन नर्सेज इन इंटरनल एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन'', लैबोरेटरी डी एन्थ्रोपॉलोजी अरबैन (यूपीआर 34 सीएनआरएस)।

ट्रान–न्गुयेन, ए–एन एंड ए वेविग्लिया जैम्पेत्ती (2004): ''ट्रेड एंड जेन्डर : अपोर्चुनिटीज एंड चेलेंजेस फोर डेवेलपिंग कन्ट्रीज'', अंकटाड, जेनेवा।

पाल, पार्था प्रतीम (2009): ''ए बैकग्राउंडर ऑन आउटसोर्सिंग एंड जेन्डर इन इंडिया'', पेपर कमीशन्ड बाई सेंटर फोर ट्रेड एंड डेवलपमेंट।

नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल (2009): ''इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन जेन्डर इन इंडिया'', प्रिपेयर्ड अंडर अंकटाड–गवर्नमेंट ऑफ इंडिया–डीएफआईडी प्रोजेक्ट ऑन ''स्ट्रेटेजी एंड प्रिपेयर्डनेस फोर ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया'' एंड सपोर्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (एमडब्ल्यूसीडी) एंड यूएनडीपी अंडर जीओआई–यूएनडीपी प्रोजेक्ट प्रोमोटिंग जेन्डर इक्वेलिटी।

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

TWN Third World Network

यह संक्षिप्त विवरण थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क (टीडब्ल्यूएन) और हेइनरीख बोल फाउंडेशन (एचबीएफ) भारत द्वारा प्रकाशित व्यापार एवं महिलाओं (जेंडर) पर प्रभाव संबंधी संक्षिप्त विवरण सीरीज का दूसरा भाग है। भारत और अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार के उदारीकरण से महिलाओं पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभावों से संबंधित मसलों पर जानकारी के प्रसार एवं प्रचार के उद्देश्य के साथ यह सीरीज प्रकाशित की जाती है।

लेखक : रोन्जा सेनगुप्ता

प्रकाशन की तारीख : अप्रैल, 2011

मुद्रक : इंडाइटग्लोबल, नई दिल्ली

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : रोन्जा सेनगुप्ता, ईमेल : ranja.sengupta@gmail.com

घोषणा : इसमें प्रकाशित विश्लेषण और निष्कर्ष सिर्फ लेखक के हैं और यह जरूरी नहीं है कि वे टीडब्ल्यूएन और एचबीएफ के विचारों या रुख के साथ मेल खाएं। पाठकों से अनुरोध है कि वे इसके लेखक, टीडब्ल्यूएन और एचबीएफ के प्रति समुचित आभार प्रकट करते हुए इस लेख का उद्धरण या हवाला देने का कष्ट करें।

कॉपीराइट : यह कार्य क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन–नॉनकामर्शियल–नोडिराव्स 3.0 लाइसेंस के तहत लाइसेंसीकृत है।

साभार : शालिनी योग, आशुतोष शर्मा एवं श्रीपाल जैन को अनुवाद के लिए।